सरयू राय
मंत्री
संसदीय कार्य–सह
खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग
झारखण्ड सरकार

झारखण्ड सरकार

कार्यालय :-
झारखण्ड मंत्रालय
प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची
आवास : एफ॰टाईप, पी॰डब्लू॰डी॰ (IB)
डोरण्डा, राँची
मो॰ : 9431114466

पत्रांक 828 / मं॰खा॰

दिनांक 17-02-17

सचिव,

किसानों से उचित मूल्य पर धान की खरीद में हम लक्ष्य से काफी पीछे हैं. इसका संकेत गत जनवरी माह के आरम्भ से ही मिलने लगा था. विभाग ने धान खरीद की जो व्यवस्था बनाया है उसकी रफ्तार काफी सुस्त है. विधान सभा के भीतर और बाहर से तथा समाचार माध्यमों से भी ऐसी सूचनायें लगातार प्राप्त हो रही हैं. इस परिप्रेक्ष्य में निम्नांकित बिन्दु विचारणीय हैं :–

1. विभाग ने किसानों की सहुलियत के लिये उन्हें एसएमएस भेजकर क्रय केन्द्रों पर आने की जो प्रणाली अपनाया है उसकी यांत्रिकता धान खरीद में सुस्ती का कारण बन रही है. जिन्हे एसएमएस भेजा जा रहा है वे सभी किसान समय पर पहुँच नहीं रहे हैं और जो किसान बिना एसएमएस भेजे क्रय केंद्र पर पहुँच रहे है उनका धान लिया नहीं जा रहा है. इस यांत्रिक प्रक्रिया में व्यवहारिकता का समावेश करना होगा. जो किसान बिना एसएमएस पाये धान बेचने आ रहे हैं, तत्काल उनकी भूमि का राजस्व कागजात देखकर उन्हें एसएमएस भेज दिया जाय और उनका धान खरीद लिया जाय. ऐसा निर्देश क्रय एजेंसियों को दिया जाय, यदि पहले ही दे दिया गया है तो इसे दुहराया जाय और इस पर तत्परता से अमल कराया जाय. अन्यथा एसएमएस व्यवस्था को शिथिल कर केवल कृषि भूमि के राजस्व कागजातों के संपुष्टिकरण के उपरांत किसानों का धान खरीद लेने का निर्देश दें.

2. धान क्रय प्रक्रिया में सुस्ती का एक बड़ा कारण जिलों एवं प्रखंडों में भंडारण क्षमता का अभाव होना है. दूसरा कारण चावल मिलों द्वारा खरीद केंद्रों पर पड़े धान का उठाव नहीं करना है. कई चावल मिलों ने अभी तक संबंधित गोदामों से धान का उठाव नहीं किया है. जिन्होने धान उठाया है उन्होने भी पूरी क्षमता से नही उठाया है. नतीजतन ऐसे इलाकों में गोदाम धान से भरे पड़े हैं, नतीजन क्रय एजेंसियो ने किसानों से धान खरीद रोक दिया है.

3. बीते दिनों के कटु अनुभव के आधार पर चावल मिलों को दिये जानेवाले धान के समतुल्य चावल की मात्रा उनसे अग्रिम लेने का नियम लागू किया गया है. एफसीआई समेत अन्य क्रय एजेंसियां भारत सरकार की हैं और खरीदे गये धान से बना चावल अंततः एफसीआई के पास ही जाना है इसलिये यदि एफसीआई सहित अन्य खरीद एजेंसियां तैयार हो तो मिले अग्रिम चावल (सीएमआर) लेने की शर्त में ढील देकर चावल मिलों से सीधे वैकल्पिक अनुबंध कर उन्हें धान देने और उनसे चावल लेने की प्रक्रिया में अग्रिम की बाध्यता से छूट दिया जा सकता है बशर्ते कि वे इस पर अपने स्तर से अमल करें. ऐसा करने से गोदाम शीघ्रता से खाली होंगे और धान खरीद की रफ्तार बढ़ेगी.

4. क्रय एजेंसियाँ किसानों को धान की कीमत देने में देर कर रही हैं जैसा कि हजारीबाग में परसों मुझे जानकारी मिली. भारत सरकार की सहकारी संस्था 'नॉकोफ' इस इलाके में धान खरीद रही है पर किसानों को भुगतान काफी विलम्ब से हो रहा है. अन्य कतिपय स्थानो से भी ऐसी छिटपूट सूचनाये प्राप्त हो रही हैं. एफसीआई एवं अन्य क्रय एजेंसियों को इस बारे में निर्देश दें कि किसानों को समय पर भुगतान मिले.

5. भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिये किराये पर जगह लेने का निर्देश विभाग द्वारा जिला प्रशासन को पहले ही दिया गया है. जिलों के प्रशासन को इसे लागू करने पर विशेष तत्परता और सक्रियता बरतने के लिये निर्देश दें.

6. विभाग द्वारा धान खरीद प्रक्रिया में फर्जीवाडा रोकने, खरीद प्रक्रिया को बिचौलियों से मुक्त रखने, पड़ोसी राज्यों से धान खरीद कर झारखंड में बेचने पर रोक लगाने, किसानों को धान खरीद के मूल्य का भुगतान शीघ्र करने आदि के लिये विभाग ने एक पूर्ण सुरक्षित खरीद प्रणाली विकसित किया है. इसमें मानवीय संवेदना का पुट
डालने की जरूरत है ताकि इसकी मूल विशेषताओं को बनाये रखते हुये इसे गतिशील एवं किसान हितकारी बनाया जाय ताकि किसान संतुष्ट हो सकें.

7. बायोमेट्रिक विधि से राशन वितरण में डीलरों द्वारा लाभुकों को अनाज की कम मात्रा देने की शिकायतें प्रायः सभी स्थानों से आ रही हैं. इस पर अंकुश लगाना जरूरी है. इसके लिये राशन दुकानों पर इलेक्ट्रोनिक तराजू का शीघ्र स्थापन करायें. पूर्व में कई पात्र लोगों के नाम कम्प्यूटर इंट्री के समय डिलिट हो गये है. ऐसे पात्र लाभुकों का नाम जोड़ना और अपात्रों का नाम काटने

एवं पात्रों का नाम जोड़ने की अभी चल रही प्रक्रिया में पूर्व की गलतियाँ नहीं हों इसके लिये विशेष सावधानी बरतने और नाम काटने एवं जोड़ने के रिकार्ड का विधिवत संधारण करने का निर्देश अधीनस्थ अंधिकारियो को दें. इसके साथ ही राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम का परिचालन भी इस माह में सुनिश्चित करायें. सफेद राशन कार्ड वितरण तथा खाद्य आयोग का गठन भी इस मार्च 2017 तक हो जाना चाहिये.

8. मैंने धान खरीद, राशन वितरण प्रणाली एवं अन्य विभागीय कार्यों की समीक्षा करने तथा लाभुकों से एवं जनता से सीधा सम्पर्क कर वस्तुस्थिति से अवगत होने के लिये आगामी १ मार्च से ३१ मार्च तक राज्यव्यापी दौरा करने का निर्णय किया है ताकि विभिन्न जिलों में कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की जमीनी सच्चाइयों से अवगत हो सकूँ. दौरा का प्रमंडलवार मोटा–मोटी विवरण निम्नवत है :–

- 1 मार्च (बुधवार) से 3 मार्च (शुक्रवार) – पलामू
- 6 मार्च (सोमवार) से 8 मार्च (बुधवार) – कोल्हान
- 15 मार्च (बुधवार) से 19 मार्च (रविवार) – संथाल परगना
- 22 मार्च (बुधवार) से 24 मार्च (शुक्रवार) – राँची
- 26 मार्च (रविवार) से 31 मार्च (शुक्रवार)– उ० छोटानागपुर

प्रत्येक जिला में एक दिन का प्रवास रहेगा, जिसमे सतर्कता समितियों एवं जिला उपभोक्ता सरंक्षण समितियों की एक बैठक जिला मुख्यालय में करेंगे और प्रत्येक जिलों में दो स्थानों पर किसानों और लाभुकों के साथ जन संवाद का कार्यक्रम रहेगा. जिसमे उनकी कठिनाईयों और सुझाव सुने जाऐंगे.

इस बारे में जिला प्रशासन एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को व्यवस्था करने हेतु सूचना देंगे.

सरयू राय